न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/200

1. भोजा आत्मज श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. किशना आत्मज श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. मु0 बरधी बेवा श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील बून्दी ।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा राजकीय पैरोकार कोटा जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सत्यनारायण नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 16.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद अधिकार घोषणा का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीगण के गैर खातेदारी की खाता संख्या नया 253 पुराना 235 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 721/285 रकबा 02 बीघा जिस पर वादीगण का हक अधिकार है एवं वादीगण के संयुक्त गैर खातेदारी की खाता संख्या नया 260 पुराना 239 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 285/562 रकबा 03 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 332/561 रकबा 07 बिस्वा कुल 02 किता की रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है उक्त भूमि वाके ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी में स्थित है । वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि आवंटन परामर्शदात्री सलाहकार समिति के सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 07.10.1977 को आवंटित की गई थी । आवंटन के समय से ही वादीगण उक्त भूमि पर काबिज काश्त

चले आ रहे हैं । उक्त भूमि वादीगण की गैर खातेदारी में दर्ज है जिसे उनके खातेदारी में दर्ज करने के लिए वादीगण ने कई बार प्रतिवादी क्रम 01 से निवेदन किया परन्तु उनकी बात पर टालमटोल की जाती रही है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे अपने गैर खातेदारी में दर्ज भूमियों को अपनी खातेदारी में दर्ज करावें ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार से हटाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 19.05.2017 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा नगरपरिषद की पेराफेरी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है इस आधार पर प्रस्तुत वाद को खारिज करने में त्रुटि की है । उक्त भूमि नगरपरिषद की पेराफेरी क्षेत्र में नहीं आती है । आज भी ग्राम रायता के समस्त कार्य एवं प्रमाण पत्र आदि ग्राम पंचायत के माध्यम से ही जारी होते आ रहे हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2019 को प्रस्तुत किया था जिस पर दिनांक 14.05.2019 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट की गैर खातेदारी में खाता संख्या नया 253 पुराना 235 की खसरा नम्बर 721/285 रकबा 02 बीघा आराजी दर्ज है । इसी प्रकार खाता संख्या 260 की आराजी में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है । उक्त आराजीयात का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा सन् 1977 में किया गया था तब से ही इस आराजी पर अपीलान्टगण का कब्जा चला आ रहा है । अपीलान्ट ने नियमानुसार लगान भी अदा किया है। वादग्रस्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु अपीलान्ट ने कई बार प्रार्थना पत्र पेश किये हैं परन्तु खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं इस कारण हक घोषणा का दावा परीक्षण न्यायालय में पेश किया है जो खारिज किया गया है । खारिज करने का आधार नगरपरिषद की पैराफेरी सीमा में आना अंकित किया है । नगरपरिषद बून्दी के द्वारा इस भूमि के बाबत् कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ग्राम रायता के समस्त कार्य एवं प्रमाण पत्र आदि

ग्राम पंचायत के माध्यम से ही निष्पादित किये जाते है फिर भी यदि आराजी को नगरपरिषद की पैराफेरी में माना जाता है तो अपीलान्ट निर्धारित शुल्क जमा कराने को तैयार है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी नगर परिषद की पैराफेरी में स्थित है । अपीलान्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 260 की कुल 02 किता की 4.06 हैक्टर आराजी रामदेवा वल्द पन्ना हिस्सा 1/2 व भोज्या, किशना पिता कजोड व मु0 बरदी बेवा कजोड हिस्सा 1/2 संयुक्त खाते में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण संख्या 27 पत्रावली पर संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 285 में 02 बीघा भूमि कजोड के गैर खातेदारी में दर्ज की गई है ।

12. वादीगण के द्वारा गैर खातेदारी में दर्ज आराजी में खातेदारी अधिकार घोषणा के लिए दावा पेश किया है जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार की प्राप्ति हेतु आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए और आवंटन अधिकारी के द्वारा आवंटन नियमों का परीक्षण करने के उपरान्त प्रार्थना पत्र पर विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है । गैर खातेदारी से खातेदारी घोषणा हेतु हक घोषणा का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/200

1. भोजा आत्मज श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. किशना आत्मज श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. मु0 बरधी बेवा श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील बून्दी ।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य द्वारा राजकीय पैरोकार कोटा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 98/दावा/2016

1. भोजा आत्मज श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. किशना आत्मज श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. मु0 बरधी बेवा श्री कजोड जाति गुर्जर निवासी ग्राम रायता तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. श्रीमान् तहसीलदार साहब तहसील बून्दी ।
2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 16.03.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सत्यनारायण नागर अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.05.2017 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 16.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा